हरदेव सिंह **बनाम** अमनदीप सैनी आदि
अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए नम्बर 17 सन् 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/267

तामिल हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.09.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। अधिवक्तागण के द्वारा के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि को जोतने के लिए राजस्व ग्राम 8 एस, पटवार हल्का 7 एस, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 23/1 की 1 बिस्वा भूमि व किला नम्बर 22 की 2 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए खारिज किए जाने के आदेश दिए जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 686 दिनांक 15.07.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार की आराजी तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने तक मंजूर शुदा सरकारी रास्ता लगता है, जो कि मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 से 5 व 5, 6, 15, 16, 25 गैरमुमकिन रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है एंव उसके अलावा मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। जो प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार की आराजी तक लगता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा अपनी जोत चक 8 एस के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1/1, 10, 11, 18, 20, 21, 23/2, 24, 25/2 की कुल 1.796 हैक्टेयर भूमि में आने–जाने के लिए अप्रार्थी अमनदीप सैनी पुत्री नरेन्द्र सिंह की खातेदारी भूमि चक 8 एस के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 22, 23/1 में से रास्ता की मांग की गई है। परन्तु रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने तक मंजूरशुदा सरकारी रास्ता लगता है। प्रार्थी के पास अपनी जोत तक पंहुचने के लिए अन्य मजूरशुदा रास्ता मौजूद है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अत्यान्तिक आवश्यक नहीं है। केवल सुविधा के लिए रास्ते की मांग की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	